167/c

राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ.18(आई–24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2012 / 3698-3808 दिनांक : 13/7/12

समस्त परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :– आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्थापित सोलर लाईट्स के रख–रखाव के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत प्रवेश बिन्दु गतिविधि में सोलर लाईट्स की स्थापना के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक 864 दिनांक 23.02.2010, 4323–4522 दिनांक 30.03.2010 एवं 2501–2771 दिनांक 15.09.2010 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

कतिपय जिलों द्वारा समय–समय पर आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्थापित सोलर लाईट्स के खराब होने अथवा सही ढंग से काम नहीं करने की शिकायतें लगातार निदेशालय को प्रेषित की जा रही है एवं इन्हें दुरूस्त करवाने हेतु विभिन्न प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में विभागीय परिपत्रों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत प्रवेश बिन्दु गतिविधियों में सोलर लाईट्स की स्थापना डी.जी.एस.एण्ड डी. दरों, मापदण्डों के अनुसार अनुमोदित फर्मों से ही की जायेगी। डी.जी.एस. एण्ड डी. दर अनुबन्ध में इन सोलर लाईट्स के सम्बन्धित फर्म द्वारा रख–रखाव हेतु 2 वर्ष की अवधि निर्धारित है। साथ ही दर अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित फर्म को सप्लाई आदेश देने से पूर्व फर्म से बैंक गारन्टी भी प्राप्त किये जाने का प्रावधान है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में स्थापित सोलर लाईट्स यदि सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है या खराब हो गई है तो अविलम्ब सम्बन्धित फर्म को वारन्टी अवधि में नियमानुसार सोलर लाईट्स ठीक करने हेतु लिखा जावे। यदि सम्बन्धित फर्म द्वारा उक्त सोलर लाईट्स ठीक नहीं की जाती है तो नियमानुसार उनसे प्राप्त बैंक गारन्टी जब्त कर सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु डी.जी.एस. एण्ड डी. को लिख दिया जावें एवं भविष्य में ऐसी फर्मो को ब्लेकलिस्ट कर दिया जावें।

निदेशक

कमांक : एफ.18(आई–24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2012 / 3698-3808 दिनांक : 13/7/12

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रथम / द्वितीय), निदेशालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
4. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII/MIES)/P.O.(LR), निदेशालय, जयपुर।
5. समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
6. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साईट पर अपलोड़ करावें।

निदेशक